

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 है० सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 है० कुल 0.861 है० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 617/111(2)/19-06 (एम०एल०ए०)/2017 टी०सी० दिनांक 08.2.2019 द्वारा 3.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रु० 35.64 लाख की प्राप्त हुई हैं। मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 2.225 कि०मी० आती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से प्रारम्भ हो कर ग्राम कोलाडुंग्री तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेंगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरक्षण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम सिविल भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1- सिविल वन भूमि	1150.00 मी० x 7 मी०	=	0.805 है०
2- नाप भूमि	1075.00 मी० x 7 मी०	=	0.7525 है०
3- मक डिस्पोजल हेतु		=	0.056 है०
योग		=	1.6135 है०

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.805 है० सिविल भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.056 है० कुल 0.861 है० सिविल भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशस्ती अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर